संख्या-887/1-11-2004-रा0-11-4(जी)03

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक 15 अप्रैल, 2004

विषय:-अग्निकाण्ड (दैवी आपदा) प्रभावितों को राहत सहायता के संबंध मे।

महोदय,

आप अवगत ही है कि गर्मी के दिनों में आँधी, तूफान या अन्य कारणों से प्राय: अग्निकाण्ड की घटनायें घटित होती रहती हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि तत्काल बचाव एवं राहत कार्य किया जाय । इस हेतु शासकीय विभागों के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के साथ-साथ स्वंयसेवी संगठनों की सहायता भी ली जानी चाहिए । बेहतर होगा कि आम लोगों के बीच उन उपायों को पहले से प्रचारित-प्रसारित किया जाय जिससे अग्निकाण्ड जैसी भीषण दुर्घटनायें घटित ही न हों और यदि हों भी तो उनके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके ।

2. अग्निकाण्ड की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु यह आवश्यक है कि अग्निशामक व्यवस्थायें चालू स्थिति में तथा विकेन्द्रित रूप में रखी जायें ताकि सूचना प्राप्त होने पर उन्हें कम समय में घटना स्थल पर पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके । जनपदों में कर्मचारियों/अधिकारियों के सहयोग से अग्निकाण्ड के बचाव एवं उपाय हेतु प्रशिक्षण कैम्प लगाये जायें जिनमें व्यावहारिक ड्रिल की भी व्यवस्था की जाय ।

3. अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल बचाव एवं राहत का कार्य आरम्भ कर दिया जाय । घटना के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) संलग्न प्रारूप पर राहत आयुक्त को उपलब्ध कराई जाए । किसी की मृत्यु हो जाने की दशा में यह रिपोर्ट 6 घंटे के अन्दर ही भेज दी जाए क्योंकि ऐसे मामले में मा0 मुख्यमंत्री जी को तत्काल अवगत कराए जाने की अपेक्षा रहती है ।

4. यदि घटना दैवी आपदा के कारण घटित हुई हो तथा राहत वितरण हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध न हो तो शेष वांछित धनराशि टी0आर0-27 के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि घटना से प्रभावित व्यक्तियों को देय तत्कालिक सहायता विलम्बतम तीन दिन के अन्दर अवश्य उपलब्ध हो जाय।

5. यदि अग्निकाण्ड में बड़े पैमाने पर आवासीय घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हों और प्रभावित परिवारों के समक्ष भोजन वस्त्रादि की समस्या उत्पन्न हो गयी हो तो उन्हें राहत प्रदान करने के लिए राहत कैम्प संचालित किए जायें जिसमें अस्थाई आवास, भोजन, पेयजल, चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य आदि की समुचित व्यवस्था हो । यदि व्यावहारिक दृष्टि से अस्थायी कैम्प लगाना आवश्यक न पाया जाए तो इस प्रकार के प्रभावित परिवारों को भोजन मद में प्रति वयस्क व्यक्ति रू0 20/- तथा प्रति अवयस्क व्यक्ति रू0 10/- प्रति दिन की दर से उपयुक्त अवधि (अधिकतम 7 दिनों) के लिए राहत सहायता प्रदान की जा सकती है । यह व्यय शासनादेश संख्या जी0आई0-81, दिनाँक 11 जुलाई 2003 के मद संख्या-14 के अन्तर्गत वहन किया जाएगा । यदि यह सहायता घटना के दिन ही उपलब्ध करा दी जाती है, तो खाद्यान्न एवं अन्य भोजन पकाने की सामग्री के रूप में यह दी जा सकती है, अन्यथा यह नगद या एकाउन्ट पेयी चेक के रूप में वितरित की जाय ।

6. यदि अग्निकाण्ड के कारण पशु के लिए संग्रहित चारा, भूसा आदि जल जाता है तो चारे की व्यवस्था शासनादेश संख्या जी0आई0-81, दिनाँक 11 जुलाई 2003 के मद संख्या- 5 सी के अन्तर्गत की जा सकती जिसकी अधिकतम अवधि एक सप्ताह होगी ।

7. शासनादेश संख्या जी0आई0-81, दिनाँक 11 जुलाई 2003 के मद संख्या-1ई के अन्तर्गत वस्त्र एवं बर्तन के रूप में देय रू0 1000/- की सहायता एकाउन्ट पेयी चेक के रूप में ही उपलब्ध करायी जाय न कि सामग्री के रूप में ।

8. गृह अनुदान केवल आवासीय भवनों के क्षतिग्रस्त होने की दशा में अनुमन्य है, दुकानों/गोशालाओं/व्यापारिक भवनों के लिए नहीं । क्षतिग्रस्त भवनों हेतु गृह अनुदान वितरित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 2282/1-11-2003-115/2003 टी0सी0, दिनाँक 30 अक्टूबर 2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबों को मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय । यदि राहत की धनराशि रू0 500/- से कम है तो नकद के रूप में अन्यथा एकाउन्ट पेयी चेक के रूप में उपलब्ध कराई जाए ।

10. राहत राशि का वितरण गाँवों में व्यापक पूर्व प्रचार-प्रसार के बाद पर्यवेक्षकीय अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय । राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय । वितरित सहायता की एक सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाय ।

11. राहत वितरण के तुरन्त बाद वितरित राहत से सम्बन्धित संलग्न प्रारूप पर सूचना राहत आयुक्त को उपलब्ध करायी जाय । सुविधा के लिए प्रथम सूचना एवं अंतिम सूचना के लिए एक ही प्रारूप निर्धारित किया गया है । प्रथम सूचना देते वक्त प्रारूप के जिन कालम को भरा जाना आवश्यक/सम्भव न हो उसे काट दिया जाय । यह प्रयास होना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अंतिम सूचना रिपोर्ट के बीच 15 दिन से अधिक का अंतर न हो अर्थात् क्षतिग्रस्त मकानों एवं मृतकों आदि की जाँच/सत्यापन तथा राहत वितरण में भी 15 दिन से अधिक का समय न लगे । अग्निकाण्ड के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में पूर्व में प्रेषित सभी प्रारूप एवं निर्देश निरस्त किए जाते है ।

12. यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि दैवी आपदा से घटित अग्निकाण्डों के लिए ही आपदा राहत निधि से राहत अनुमन्य है । विद्युत दोषों, अपराधिक कृत्यों व स्वयं की प्रत्यक्ष असावधानी या प्रमाद के कारण आग लगने की घटना से पीड़ितों के सहायतार्थ आपदा राहत निधि से व्यय किया जाना वर्जित है । विद्युत दोषों के कारण घटित अग्निकाण्ड की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों/पशुओं की क्षति की पूर्ति के मामले में अनुग्रह राशि आदि दिये जाने का प्रावधान अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ के चेयरमैन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-890ई0ए0/रा0वि0प0 (औस-18)/92-8-विविध/92, दिनांक 26 सितम्बर, 92 में है । ऐसे प्रकरणों में तद्नुसार ही कार्यवाही की जाए ।

887-4-11-2004-Ra-11-4(C)/U

अतः आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्निकाण्ड की घटनाओं के संबंध में उपर्युक्तानुसार आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यवाही, प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को नियमानुसार राहत वितरण एवं तद्विषयक समस्त सूचनायें शासन को निर्धारित समय के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक: एक ।

भवदीय,

(अनन्त कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या-887(1)/1-11-2004-रा0-11-4(जी)03 तद्दिनांक

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, गृह विभाग/ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ ।

(4) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विद्युत दोषों से घटित अग्निकाण्ड की घटनाओं से संबंधित प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारित करने हेतु यह निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(5) अपर पुलिस महानिदेशक (फायर सर्विसेज) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(6) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबन्ध अकादमी, लखनऊ ।

(7) निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ ।

(8) गार्ड फाइल, राजस्व अनुभाग-11

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
अनुसचिव ।

887-1-11-2004-Ra-11-4(G)03

शासनादेश संख्या 887/1-11-2004-रा0-11-4(जी)/03, दिनांक 15.4.04 का संलग्नक

जनपद में घटित अग्निकाण्ड की प्रथम/अन्तिम सूचना का प्रपत्र ।

जनपद का नाम   रिपोर्ट की तिथि ....

1. घटना की तिथि:
2. अग्निकाण्ड का कारण:
3. प्रभावित ग्राम/ कस्बा का नाम:
4. प्रभावित परिवारों की संख्या:
5. कुल धन की क्षति (रु0 में):
6. मानव क्षति का विवरण:

क्षति का प्रकार	संख्या	वितरित सहायता (रु0 में)
(क) मृत्यु		
(ख) 40 प्रतिशत विकलांग/अपंग		
(ग) गंभीर रूप से घायल		
कुल		

7. मृतक पशुओं की संख्या:   वितरित सहायता (रु0 में):
8. क्षतिग्रस्त मकानों की स्थिति:

	पक्के		कच्चे		कुल	
	संख्या	धनराशि (रु0 में)	संख्या	धनराशि (रु0 में)	संख्या	धनराशि (रु0 में)
(क) पूर्णतया						
(ख) अत्यधिक						
(ग) आंशिक						
कुल						

9. वितरित अन्य राहत सहायता (रु0 में):
   (क) कपड़ा, बर्तन (मद संख्या 1ई) हेतु:
   (ख) भोजन आदि (मद संख्या 14) हेतु:
   (ग) पशु चारा (मद संख्या 5सी) हेतु:
   (घ) अन्य मद, यदि कोई:
10. कुल वितरित सहायता (6+7+8+9) (रु0 में):